मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2001 (भाद्र 30, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

(1) पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य का राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-4 .

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, श्री जी. जगतपति, भूतपूर्व मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति मध्यप्रदेश के :-

(क) प्रतिवेदन क्रमांक एम.सी.-तीन, भोपाल नगर निगम द्वारा निर्मित हलालपुर बस स्टेण्ड व इसकी भूमि के विकल्प में आवंटित भू-खण्डों के बाबत्,
(ख) प्रतिवेदन क्रमांक न.नि. 13, नगर निगम, भोपाल,
(ग) प्रतिवेदन क्रमांक न.सु. न्या. 17, नगर सुधार न्यास, रतलाम,
(घ) प्रतिवेदन क्रमांक न.नि. 20 नगर निगम, भोपाल,
(ङ.) प्रतिवेदन क्रमांक न.नि. 21, नगर निगम, भोपाल,
(च) भोपाल नगर निगम द्वारा टीन शेड, न्यू मार्केट पर 10X12=120 वर्गफुट की दुकान आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(छ) भोपाल नगर निगम द्वारा कमाली मंदिर पर स्थित भवन अधिग्रहीत करने के एवज में रंगमहल टॉकीज के पास नाले पर आवंटित भू-खण्ड का जांच प्रतिवेदन,
(ज) भोपाल नगर निगम द्वारा हर्षवर्धन नगर में 3,000 वर्गफुट भूमि आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(झ) भोपाल नगर निगम द्वारा हलालपुर की भूमि खसरा क्रमांक 48 व 49 के एवज में पी.एच.ई. पंप हाऊस के पास होशंगाबाद रोड़ पर 5,000 वर्गफुट भूमि आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(ञ) भोपाल नगर निगम द्वारा हलालपुर की भूमि खसरा क्रमांक 48 व 49 के एवज में 5 नं. बस स्टाप के पास नाले पर 6,000 वर्गफुट भूमि आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(ट) भोपाल नगर निगम द्वारा हलालपुर की भूमि खसरा क्रमांक 48 व 49 के एवज में पी.एच.ई. पंप हाऊस के पास होशंगाबाद रोड पर 4,500 वर्गफुट भूमि आवंटन का जांच प्रतिवेदन,
(ठ) सत्यानंद योग संस्था आठनेर (जिला-बैतूल) को आवंटित भूमि का जांच प्रतिवेदन,
(ड) म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, ग्वालियर द्वारा शारदा शिक्षा समिति जौरा खुर्द (मुरैना) को स्कूल हेतु आवंटित भू-खण्ड का जांच प्रतिवेदन,
(ढ) म.प्र. निर्माण मण्डल, ग्वालियर द्वारा दर्पण कालोनी में आवंटित भू-खण्ड का जांच प्रतिवेदन, तथा
(ण) म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, ग्वालियर द्वारा न्यू दर्पण कालोनी में आवंटित भू-खण्ड का जांच प्रतिवेदन,

पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5-13-88-पन्द्रह-1, दिनांक 30 अगस्त, 2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, होशंगाबाद जिले की अशासकीय शिक्षण संस्था में कार्यरत शिक्षकों का शासकीय प्राथमिक शालाओं में स्थानान्तरण किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री हिम्मत कोठारी , सदस्य, इन्दौर नगर निगम को देय चुंगी क्षतिपूर्ति राशि में से विद्युत बिल के नाम पर कटौती किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, अनूप मिश्रा, सुनील नायक, सदस्य, भोपाल के मालवीय नगर में एक युवक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के बीना क्षेत्र में अनेक हत्याओं के अपराधियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) चौधरी राकेश सिंह, श्री बेस्ता पटेल, श्रीमती स्वरूपबाई भाबर, सदस्य, झाबुआ नगर पालिका द्वारा मध्यान्ह भोजन के पोषण आहार को बाजार में बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.